

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा/ब/22803/2010/

दिनांक : 15/4/2010

- (1) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
शिक्षा विभाग
- (2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक)

विषय :- राष्ट्र/राज्य/मंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2010

लेख है कि शिक्षकों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा समाज के प्रति की गई प्रशंसनीय सेवाओं के लिए उन्हें प्रति वर्ष राष्ट्र/राज्य/मंडल स्तर पर सम्मानित किया जाता है। पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा। राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रति वर्ष शिक्षक दिवस को प्रदान किये जाते हैं। राष्ट्र/राज्य शिक्षक सम्मान के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर वरियता निर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करें:-

{1} सामान्य निर्देश

(अ) सम्मान हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष दक्षता रखने वाले समर्पित शिक्षकों के प्रकरण तैयार किये जायें :-

- (1) स्थानीय समाज, अभिभावकों व विद्यार्थियों में प्रतिष्ठा प्राप्त।
 - (2) नामांकन बढ़ाने में विशेष सफलता प्राप्त।
 - (3) विद्यालय भवन निर्माण के साधन सुविधा बढ़ाने हेतु जनसहयोग प्राप्त करना।
 - (4) उच्च कोटि का अध्यापन कार्य।
 - (5) अध्ययन के क्षेत्र में नवीन विधियों व तकनीकी का प्रयोग।
 - (6) उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम एवं उसमें गुणात्मक सुधार।
 - (7) शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों शोधों/आलेखों का प्रकाशन।
- (ब) प्राप्त प्रपत्रों की अंकों के आधार पर वरियता बनाकर प्रथम बारह स्थान प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षकों का ग्राउण्ड ऐससमेन्ट करवाना।
- (स) ग्राउण्ड ऐससमेन्ट के उपरान्त वरियता में प्रथम चार स्थान पर आने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव चार प्रतियों में सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित करना।
- (द) विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए दो "स्पेशल अवार्ड" राष्ट्रीय स्तर पर देय है। इसके लिए विकलांग शिक्षक अथवा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सामान्य शिक्षक जो विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में सेवाए दे रहा है, इस स्पेशल अवार्ड के लिए पात्र होंगे। इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरियता बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त शिक्षक का प्रस्ताव पांच प्रतियों में उप निदेशक कार्यालय को प्रेषित करना।
- (य) प्रस्ताव तैयार करने में उत्कृष्ट क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देना।
- (र) पूर्व वर्षों में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों के राष्ट्र सम्मान हेतु अलग से प्रस्ताव तैयार नहीं किये जावें।
- (ल) प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर सभी प्रस्ताव, उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को तीन प्रतियों में एवं उप निदेशक (प्रारम्भिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समयबद्ध पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना।

(व) उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) का दायित्व है कि वह अपने मंडल के प्रस्ताव अनिवार्यतः निदेशालय को उपलब्ध कराये।

{2} जिला चयन समिति

जिला स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए करेंगे :-

- | | |
|--|-------------------|
| (1) जिला शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| (3) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी
अथवा
वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| (4) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (उक्त सम्मान प्राप्त को प्राथमिकता)
(मंडल अधिकारी द्वारा मनोनीत किये जाने हैं) | सदस्य
(कोई दो) |

चयन समिति के गठन में निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखा जावे :-

- जिला स्तरीय चयन समिति में ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को मनोनीत नहीं किया जाए जिसका नाम पुरस्कार हेतु विचारणीय है।
- जिला स्तरीय चयन समिति का गठन उपरोक्तानुसार ही होना चाहिए। इसके अभाव में प्रस्ताव अस्वीकार किये जा सकते हैं।
- मंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा व जांच करने का कार्य सम्बन्धित उप निदेशक का ही है।

{3} प्रपत्र

- (अ) राष्ट्र/राज्य स्तरीय सम्मान के लिए शिक्षक की सिफारिश करने हेतु प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है।
- (ब) प्रपत्र के भाग क,ख एवं ग की पूर्तियां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, पढ़ाए जाने वाले विषयों के परीक्षा परिणाम, विद्यालय का परीक्षा परिणाम, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की टिप्पणियां आदि स्त्रोंतो से की जाए। इसके साथ सभी सूचनायें, प्रशंसा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, प्रकाशित पुस्तकों/लेख/साहित्य इत्यादि की पुष्टि के लिए अभिलेख संलग्न किये जाएं।
- (स) प्रपत्र के भाग "क" के कॉलम संख्या-13 मूल सेवा रिकार्ड का है। इसके भाग की सभी पूर्तियां भी करनी है। सेवा विवरण परिशिष्ट-4 में अंकित करना है।
- (द) प्रपत्र के भाग "घ" में जिला चयन समिति की सिफारिश की जाए इस पर जिला चयन समिति के अध्यक्ष सहित सभी चारों सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।
- (य) शिक्षक द्वारा अर्जित योग्यताओं का विवरण परिशिष्ट-5 में अंकित किया जाये।
- (र) शिक्षक से किसी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जाए और न ही सम्बन्धित को यह बताने की आवश्यकता है कि उनका नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया जा रहा है। अनुशंसा नितांत निष्पक्ष और न्यायोचित होनी चाहिए।
- (ल) प्रपत्र के सभी भाग क,ख,ग एवं घ तैयार करने में पूर्णतया गोपनीयता बरती जायें।

{4} पात्रता

- (अ) इस सम्मान हेतु प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित/अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही पात्र हैं।
- (ब) राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक पात्र हैं, परन्तु राष्ट्र स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए मात्र प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही पात्र माने जाते हैं।
- (स) जिन शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच और कानूनी कार्यवाही पूर्व में चली है अथवा वर्तमान में विचाराधीन है तो वे इस सम्मान हेतु अपात्र है।
- (द) उन्हीं शिक्षकों के प्रस्ताव अनुशंसित किये जावें जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष शिक्षण कार्य किया हों।
- (य) सामान्यतः सेवानिवृत्त हो जाने पर शिक्षक राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, किन्तु वर्ष 2010 में कम से कम 4 माह तक अर्थात् 30, अप्रैल तक कार्य करने वाले शिक्षक के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और प्रस्ताव अनुशंसित किए जा सकते हैं।
- (र) जिन शिक्षकों के प्रस्ताव गत वर्ष अथवा पहले भेजे गये थे, यदि वे अब भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उन पर पुनः विचार किया जा सकता है और पुनः प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसित किए जा सकते हैं।

{5} सेवा

- (अ) मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत कक्षाध्यापकों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव, जबकि प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के लिए 20 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है।
- (ब) समेकित शिक्षा (विकलांगों के लिए शिक्षा) को उन्नत करने वाले शिक्षकों के लिए 10 वर्ष तथा संस्था प्रधानों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है।
- (स) शिक्षक का वांछित शिक्षण अनुभव 31, दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण होना आवश्यक है।

{6} महिला शिक्षक

महिला शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु समुचित प्रोत्साहित किया जावे।

{7} नामांकन अभिवृद्धि

छात्रों के नामांकन अभिवृद्धि हेतु उत्प्रेरण की दृष्टि से उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जावे, जिन्होंने एक शैक्षिक सत्र में छात्र/छात्रा नामांकन में सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। नामांकन अभिवृद्धि का अभिलेख पूर्णरूप से संलग्न होना चाहिए। इसमें महिला

शिक्षकों द्वारा, जो पिछड़ी जाति के क्षेत्र में कार्यरत हो, नामांकन, साक्षरता, परिवार कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जावे।

[8] परीक्षा परिणाम

- (अ) परीक्षा परिणाम गत पांच वर्षों के अंकित किये जाये।
- (ब) शिक्षक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के तथा संस्था प्रधान का, विद्यालय के परीक्षा परिणाम ही मान्य हैं।
- (स) एस.यू.पी.डब्ल्यू/कला शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा/शारीरिक शिक्षा विषयों के परीक्षा परिणाम अमान्य हैं।
- (द) शिक्षक की परीक्षा परिणामों का उल्लेख प्रपत्र के भाग "क" की क्रम संख्या-13 के कॉलम-8 तथा भाग "ख" के क्रम संख्या-17 में विशेष रूप से करें। इसकी पुष्टि के लिए अधिकृत अधिकारी का प्रमाणित किया हुआ विवरण परिशिष्ट-6 में अंकित करें।
- (य) शारीरिक शिक्षकों के प्रकरणों में अकादमिक उपलब्धी (परीक्षा परिणाम) के साथ विभिन्न स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में रही उपलब्धि के निम्नानुसार अंक प्रदान किये जावें :-

क्र०स०	स्तर	अंक
1	जिला स्तर पर विजेता	03 अंक
2	राज्य स्तर पर विजेता	04 अंक
3	राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विजेता	05 अंक

चूंकि परीक्षा परिणाम एवं कार्य उपलब्धियों के 25 अंक निर्धारित है, अतः शारीरिक शिक्षकों के सम्बन्ध में शेष 20 अंकों में से यथोचित अंक ग्राउन्ड एसेसमेंट समिति द्वारा अन्य गतिविधियों में दिये गये योगदान को ध्यान में रखकर प्रदान किये जाये। शारीरिक शिक्षक के नामांकन एवं ठहराव, अनुशासन स्थापना में भागीदारी, स्थानीय समाज के साथ समन्वयकारी कार्य, प्रार्थना सभा का आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन, विभिन्न कुरीतियों के निवारण, अच्छी आदतों/संस्कारों की स्थापना में किए गये प्रयासों को ध्यान में रखकर अंक प्रदान किये जावें। विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जिला व तहसील स्तरीय यदि विद्यालय में आयोजित की गई है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षकों को उसकी भूमिका के अनुसार अंक प्रदान किए जावें। विद्यालय विकास समिति/शिक्षक-अभिभावक परिषद के कार्यों में शारीरिक शिक्षक की भूमिका को देखकर अंक प्रदान किए जावें।

[9] विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

जिला स्तर पर चयनित कर अनुशंसित किए जाने वाले शिक्षकों के सेवाभिलेखों की बहुत सावधानीपूर्वक विस्तृत जांच की जावें। यदि आप अपने स्तर पर पूर्णतया आश्वस्त है कि अनुशंसित किए जाने वाले शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच या कानूनी कार्यवाही न ही पूर्व में चली हैं और न ही वर्तमान में विचाराधीन हैं का प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक की पंजिका के साथ परिशिष्ट-7 के अनुसार संलग्न किया जावें। इसी प्रकार गैर राजकीय अनुदानित/अनुदानित विद्यालयों के लिए भी संस्था के सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिशिष्ट-8 के अनुसार संलग्न किया जावे।

{10} शिक्षक का फोटो

शिक्षक के प्रत्येक प्रपत्र के भाग "क" के ऊपर हाल ही के पासपोर्ट साइज की फोटों चिपकानी है। इसके अलावा एक फोटो लिफाफे में अलग से संलग्न करें। फोटो के पिछले भाग में शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि, पूरा पता अंकित करना है।

{11} वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

- (अ) प्रत्येक शिक्षक को पांच वर्षों के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर अंक प्रदान किये जावें।
- (ब) शिक्षकों एवं वरिष्ठ शिक्षकों के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तावों के साथ संलग्न करने हैं एवं व्याख्याताओं और संस्था प्रधानों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन की स्थिति निदेशालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर तदनुसार अंक प्रदान करने है।
- (स) गैर राजकीय अनुदानित/अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर संस्था सचिव से प्रति वर्ष का समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषप्रद में से किसी एक स्केल में प्राप्त कर परिशिष्ट-9 के अनुसार संलग्न करना है।

{12} जनसहयोग

- (अ) शिक्षक द्वारा मात्र विद्यालयों के लिए ही जनसहयोग से कराये गये कार्य ही मान्य हैं।
- (ब) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जनसहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- (स) एक ही भवन/खेल मैदान अथवा अन्य प्रकार की जनसहयोग के लिए एक से अधिक शिक्षक को सम्मानित किये जाने की अनुशंसा नहीं की जावे।
- (द) सामग्री/नकद प्राप्ति का प्रमाण-पत्र दानदाता द्वारा ही देय, जो संस्था प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षर हो, ही मान्य और निर्माण कार्य में लागत का प्रमाण-पत्र राजकीय सेवा/स्थानीय निकाय में कार्यरत अभियन्ता (कम से कम कनिष्ठ अभियन्ता स्तर) द्वारा देय ही मान्य होगा।
- (य) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक की जनसहयोग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-10 में अंकित करना है।

{13} ग्राउन्ड ऐसेसमेन्ट

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) अपने क्षेत्राधिकार से प्राप्त प्रपत्रों की वरियता बनाकर प्रथम बारह स्थान पर आने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षकों का ग्राउन्ड ऐसेसमेन्ट एक समिति के द्वारा करवायेंगे। उक्त समिति का गठन अपने-अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जावे :-

- (1) जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष
- (2) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी जो वरिष्ठ उप जि0शि0अ0 के नीचे के स्तर का नहीं हों सदस्य
- (3) एक प्रतिनिधि डाइट से जो वरिष्ठ व्याख्याता स्तर का हो सदस्य

ग्राउन्ड ऐसेसमेन्ट समिति सम्मान हेतु प्राप्त प्रकरण में शिक्षक द्वारा जिन विद्यालयों/संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, उन विद्यालयों/संस्थाओं का दौरा करने जायेगी। समिति विद्यालयों/संस्थाओं के छात्र/छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों,

संस्था प्रधानों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करेगी, शिक्षक अभिभावक परिषद से मिलकर परिषद के कार्यों में सम्बन्धित शिक्षक की भूमिका का पता लगाकर अंक प्रदान करेगी। अनुशासन की स्थापना, नामांकन व ठहराव, जन सहयोग, राष्ट्रीय विकास कार्यों में शिक्षक योगदान का भी एसेसमेन्ट करेगी। समग्र रूप से संबंधित शिक्षक द्वारा शैक्षिक, पर्यावरण समुन्नत व स्वस्थ स्वरूप देने की दशा में किए गए प्रयासों को दृष्टि में रखकर अंक प्रदान किये जावें। इसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। ये अंक परिशिष्ट-2 के अनुसार दिये जाये।

{14} पंचांग

शिक्षक सम्मान से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए समयबद्ध निष्पादन के लिए निम्नानुसार पंचांग निर्धारित किया गया है :

- (1) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रकरण तैयार कर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारी को उपलब्ध कराना। 02 जून, 2010
- (2) उप निदेशक (माध्यमिक) स्तर पर प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना। 10 जून, 2010
- (3) उप निदेशक (प्रारम्भिक) स्तर पर प्रकरणों को अंतिम रूप देकर प्रस्ताव अनुशंसा सहित निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उपलब्ध कराना। 10 जून, 2010
- (4) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के द्वारा प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना। 22 जून, 2010
- (5) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना। 22 जून, 2010

इस पत्र में वर्णित तिथियों तक पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रूचि के साथ कार्य सम्पादित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। सम्मान हेतु अनुशंसित किये जाने वाले प्रकरणों में पूर्णतः गोपनीयता बरती जाये। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक को तथा उप निदेशकों द्वारा अपने-अपने निदेशकों को भिजवाये जाने वाले प्रस्ताव सील बन्द पैकेट में संबंधित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवाये। यह ध्यान रहे की प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में शिक्षकों के नाम अंकित न करें बल्कि उनकी सूची पैकेट में ही रखें

इस बात का विशेष ध्यानरखा जावे कि आवश्यक समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण-पत्रादि क्रमानुसार ही संलग्न किये जावें।

मंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान

मंडल स्तरीय सम्मान समारोह माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सम्मिलित रूप से गौंधी जयन्ती दिनांक 2/10/2010 को आयोजित होगा। इसके नॉडल अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक) रहेंगे। मंडल स्तर पर उन्हीं शिक्षकों का चयन किया जाये जिन्होंने कम से कम 50 अंक प्राप्त किये हों एवं जिन्हें राज्य/मंडल स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया हो।

ध्यान रहे कि प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों की नियन्त्रण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत जांच कर प्रत्येक शिक्षक का प्रस्ताव परिशिष्ट-1 से 10 तक में प्रेषित करेंगे।

- संलग्न :-
- (1) दो सूक्ष्म अंक योजनाएँ
 - (2) प्रपत्रों की सूची
 - (3) परिशिष्ट 1 से 10 तक

(भास्कर ए. सावन्त)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

परिशिष्ट-3

राष्ट्र / राज्य स्तरीय सम्मान हेतु शिक्षक की
सिफारिश करने के लिए प्रपत्र

फोटो यहा
चिपकायें

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र का भाग "क" "ख" और "ग" शिक्षक की डायरी, निरीक्षण रिपोर्ट, संस्था प्रधान द्वारा संधारित किए गए रिकार्ड, स्कूल के परीक्षा परिणाम, शिक्षक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, सेवा पुस्तिका आदि स्रोतों से भरे जाए। भाग "घ" और "ङ" क्रमशः जिला समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष तथा इस प्रयोग हेतु नियुक्त समिति द्वारा भरे जाए।

भाग - "क"
(शिक्षक का विवरण)

- (1) नाम :
- (2) वैवाहिक स्थिति के साथ स्त्री / पुरुष :
- (3) पद नाम, स्कूल का पूर्ण पता :
- (पिन कोड सहित)
- (4) नियुक्ति स्थान का आवासीय पूर्ण पता :
- (पिन कोड सहित)
-
-
- (5) पूर्ण स्थाई पता :
- (पिन कोड, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर :
- यदि हो तो) :
- (6) स्कूल का स्तर :
- (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / :
- उच्च माध्यमिक / अन्य)
- (7) जिला :
- (8) राज्य :
- (9) जन्म तिथि :

- (10) वर्तमान आयु :
- (11) सेवानिवृत्ति तिथि :
- (12) यदि सेवानिवृत्ति के बाद सेवा वृद्धि की गई हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति का उल्लेख कर प्रति प्रलेख संलग्न करें :
- (13) शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तिथि सहित कुल सेवा :
 - कुल सेवा.....वर्ष.....माह
 - शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तिथि

सेवा रिकार्ड

संस्था का नाम	स्तर—प्राथमिक / माध्यमिक आदि	प्रबन्धन सरकारी / सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त	कुल दाखिला	सेवा की अवधि दिनांक महीना एवं वर्ष सहित	पढायें गये विषय	पढाई गई कक्षाएं	सार्वजनिक या वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम	पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(14) कुल अनुभव

प्रकार	अवधि		कुल अनुभव		
सेतक	वर्ष	माह	दिन
शिक्षण					
प्रशासनिक					
अन्य					
कुल					

भाग – 'ख' (प्रथम)

- (15) प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए तथा कक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा क्या ठोस कदम ऊटाए गए हैं ? स्कूल और जिले के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों के दाखिला / स्कूल में बनाये रखने की प्रतिशतता संबंधी आकड़े दें ताकि प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति को दर्शाया जा सके।

- (16) माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में विगत पाँच वर्षों में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में कक्षा छोड़ देने वालों की क्या दर रही ? उसे रोकने के लिए शिक्षक ने क्या कदम उठाए ?
- (17) बोर्ड परीक्षा में शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे हैं ? विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षक के कक्षा/विषय/विद्यालय में उत्तीर्ण होने वालों और प्रथम श्रेणी पाने वालों की प्रतिशतता दें।
- (18) क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया है ? यदि हां तो विवरण दें।
- (19) शिक्षक के मामले में विगत पांच वर्षों के दौरान कक्षा/स्कूल में अनुशासनहीनता के मामले, यदि कोई हो, संख्या बताएं।
- (20) क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू किया है ? विवरण दें।
- (21) निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिए :
- क्या वे प्राइवेट शिक्षण देते/देती है ?
 - क्या वे राजनैतिक/ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों में सम्मिलित होते/होती है ?
 - क्या वे शिकायत करने और कानूनी पचड़े में पड़ने के आदि है ?
 - क्या वे सम्यनिष्ट हैं ?
- ध्यातव्य :** सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सूचना को 75 प्रतिशत अधिमानता दी जानी चाहिए।

(द्वितीय)

- (22) क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? संक्षिप्त विवरण दें।
- (23) कक्षा के शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार क्या है ?
- (24) क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
- (25) क्या शिक्षक ने किसी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है ? यदि हां तो विगत पांच वर्षों का विवरण दें।
- (26) क्या शिक्षक स्कूलों में सह-पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करने में सक्रिय रुचि लेते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
- (27) क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्यपुस्तक आदि लिखी हैं ? यदि हां तो विवरण दें।

(28) क्या विगत दस वर्षों के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता, पुरस्कार या इनाम मिला है ? यदि हां तो विवरण दें।

(29) ऊपर अनुलिखित कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि

भाग – 'ग'

(अपने वरिष्ठ शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक के बारे में टिप्पणी)

(30) क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का सम्मान है ?

(31) क्या वे विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हैं ?

(32) क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाए रखते हैं ?

(33) क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर माताओं/पिताओं द्वारा उनको अच्छा सम्मान मिलता है ?

(34) शिक्षक अभिभावक परिषद के कार्यकलाप आदि, यदि कोई हों, में शिक्षक की क्या सहभागिता है ?

(35) संस्था प्रधान द्वारा समग्र मूल्यांकन :

(36) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र मूल्यांकन :

हस्ताक्षर मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

भाग – 'घ'

जिला समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर

अध्यक्ष,

जिला समिति

चतुर्थ सदस्य

तृतीय सदस्य

द्वितीय सदस्य

प्रथम सदस्य

भाग – 'ड'

राज्य समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर

द्वितीय सदस्य

प्रथम सदस्य

अध्यक्ष

राज्य समिति

संलग्न प्रपत्रों की सूची

परिशिष्ट-1	जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
परिशिष्ट-2	ग्राउन्ड एसेसमेंट समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
परिशिष्ट-3	सम्मान हेतु शिक्षक की सिफारिश करने के लिए प्रपत्र
परिशिष्ट-4	शिक्षक का सेवा विवरण
परिशिष्ट-5	शिक्षक का शैक्षिक रिकार्ड
परिशिष्ट-6	शिक्षक का परीक्षा परिणाम
परिशिष्ट-7	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र
परिशिष्ट-8	गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सम्बन्धी विभागी जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण पत्र
परिशिष्ट-9	गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक कार्य वा0का0मू0
परिशिष्ट-10	जन सहयोग का प्रमाण-पत्र

परिशिष्ट के अन्त में संलग्न प्रपत्र

क्र0स0	वर्ग	प्रलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या
शैक्षिक रिकार्ड			
1	माध्यमिक	अंक तालिका	
2	माध्यमिक	प्रमाण पत्र	
3	उच्च माध्यमिक	अंक तालिका	
4	उच्च माध्यमिक	प्रमाण पत्र	
5	स्नातक ()	अंक तालिका	
6	स्नातक ()	प्रमाण पत्र	
7	स्नातकोत्तर ()	अंक तालिका	
8	स्नातकोत्तर ()	प्रमाण पत्र	
9	प्रशैक्षिक ()	अंक तालिका	
10	प्रशैक्षिक ()	प्रमाण पत्र	
परीक्षा परिणाम			
11	2004-2005	संस्था प्रधान द्वारा देय	
12	2005-2006	संस्था प्रधान द्वारा देय	
13	2006-2007	संस्था प्रधान द्वारा देय	
14	2007-2008	संस्था प्रधान द्वारा देय	
15	2008-2009	संस्था प्रधान द्वारा देय	
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन			
16	2004-2005		
17	2005-2006		
18	2006-2007		
19	2007-2008		

क्र०स०	वर्ग	प्रलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या
20	2008-2009		
जन सहयोग			
21	2004-2005		
22	2005-2006		
23	2006-2007		
24	2007-2008		
25	2008-2009		
प्रकाशन/वार्ता			
26	2004-2005		
27	2005-2006		
28	2006-2007		
29	2007-2008		
30	2008-2009		
राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान			
31	2004-2005		
32	2005-2006		
33	2006-2007		
34	2007-2008		
35	2008-2009		
विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान			
36	2004-2005		
37	2005-2006		
38	2006-2007		
39	2007-2008		
40	2008-2009		
41	विकलांगों की शिक्षा के लिए प्राप्त विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/उपाधि		
42	शिक्षक की विकलांगता का प्रमाण पत्र		
43	बड़े लिफाफे में शिक्षक का पासपोर्ट फोटो	---	
44	अन्य कोई प्रमाण पत्र		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (1) परिशिष्ट 1 से 10 तक संलग्न है, (2) तालिका के अनुसार जिन प्रलेखों के अंक देय वे संलग्न है, (3) तालिका की जिस क्रम संख्या का प्रलेख नहीं है उसके सामने पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गई है एवं (4) समस्त प्रलेखों की जांच करली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर
जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)

शिक्षक सम्मान हेतु चयन के लिए सूक्ष्म अंक योजना

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	अंक 15
	प्रथम श्रेणी मय विशेष योग्यता (किसी विषय में 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्तांक)	अंक 3.0
	प्रथम श्रेणी	अंक 2.5
	द्वितीय श्रेणी	अंक 2.0
	तृतीय श्रेणी	अंक 1.0

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक $3 \times 5 = 15$ है अर्थात् (1) माध्यमिक, (2) उच्च माध्यमिक, (3) स्नातक, (4) स्नातकोत्तर और (5) बी०एड०/एस०टी०सी/डी०पी०एड०/बी०पी०एड०/सी०पी०एड०/शिक्षाशास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के)	अंक 25
	90 प्रतिशत से ऊपर	अंक 5
	75 से ऊपर एवं 90 प्रतिशत तक	अंक 4
	60 से ऊपर एवं 75 प्रतिशत तक	अंक 3
	50 से 60 प्रतिशत तक	अंक 2

नोट : 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $5 \times 5 = 25$ है।

(3)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत 5 वर्षों के)	अंक 15
	उत्कृष्ट	अंक 3.0
	बहुत अच्छा	अंक 2.0
	अच्छा	अंक 1.5
	सन्तोषप्रद	अंक 1.0

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $3 \times 5 = 15$ है।

(4)	जनसहयोग (गत 5 वर्षों का)	अंक 15
	10 लाख रुपये से ऊपर	अंक 15
	7.5 लाख से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक	अंक 10
	5 लाख से ऊपर एवं 7.5 लाख रुपये तक	अंक 06
	1 लाख से 5 लाख रुपये तक	अंक 04

नोट :- (1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चुका है तो उसी जन सहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नहीं माना जावे।

(2) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन-सहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(3) निर्माण कार्य लागत प्रमाणीकरण हेतु बिन्दु-12 (द) देखें

(5)	प्रकाशन/वार्ता (गत 5 वर्षों की)	अंक 5
	राष्ट्र स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50
	संस्था स्तर	अंक 0.25

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $1 \times 5 = 5$ है और जिस स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशित हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रति वर्ष का अंकन किया जाये। एक वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तक (कों) के लिए एक अंक ही प्रदान करना है।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत 5 वर्षों का)	अंक 5
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	जिला स्तर	अंक 0.50
	खण्ड स्तर	अंक 0.25

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $1 \times 5 = 5$ है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7)	ग्राउण्ड ऐसेसमेन्ट	20 अंक
-----	--------------------	--------

नोट :- परिशिष्ट 2 के अनुसार अंक प्रदान किये जाने है।

शिक्षक सम्मान हेतु चयन के लिए सूक्ष्म अंक योजना (विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु विशेष सम्मान)

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	अंक 15
	प्रथम श्रेणी मय विशेष योग्यता (किसी विषय में 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्तांक)	अंक 3.0
	प्रथम श्रेणी	अंक 2.5
	द्वितीय श्रेणी	अंक 2.0
	तृतीय श्रेणी	अंक 1.0

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के अधिकतम क्रेडिट अंक $3 \times 5 = 15$ है अर्थात् (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक, (3) स्नातक, (4) स्नातकोत्तर और (5) बी०एड०/एस०टी०सी/डी०पी०एड०/बी०पी०एड०/सी०पी०एड०/शिक्षाशास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के)	अंक 25
	90 प्रतिशत से ऊपर	अंक 5
	75 से ऊपर एवं 90 प्रतिशत तक	अंक 4
	60 से ऊपर एवं 75 प्रतिशत तक	अंक 3
	50 से 60 प्रतिशत तक	अंक 2

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $5 \times 5 = 25$ है।

(3)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत 5 वर्षों के)	अंक 15
	उत्कृष्ट	अंक 3.0
	बहुत अच्छा	अंक 2.0
	अच्छा	अंक 1.5
	सन्तोषप्रद	अंक 1.0

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $3 \times 5 = 15$ है।

(4)	जनसहयोग (गत 5 वर्षों का)	अंक 10
	7.5 लाख रुपये से ऊपर	अंक 10
	5 लाख से ऊपर एवं 7.5 लाख रुपये तक	अंक 07
	3 लाख से ऊपर एवं 5 लाख रुपये तक	अंक 05
	1 लाख से 3 लाख रुपये तक	अंक 03

नोट :- जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चुका है तो उसी जन सहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नहीं माना जावे।

(5)	प्रकाशन/वार्ता (गत 5 वर्षों की)	अंक 5
	राष्ट्र स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50
	सरस्था स्तर	अंक 0.25

नोट :- कुल 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $1 \times 5 = 5$ है और जिस स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशित हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रति वर्ष का अंकन किया जाये। एक वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तक (कों) के लिए एक अंक ही प्रदान करना है।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत 5 वर्षों का)	अंक 5
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	जिला स्तर	अंक 0.50
	खण्ड स्तर	अंक 0.25

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $1 \times 5 = 5$ है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7)	विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान	अंक 5
	उत्कृष्ट	अंक 1.00
	बहुत अच्छा	अंक 0.75
	अच्छा	अंक 0.50
	सन्तोषप्रद	अंक 0.25

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक $1 \times 5 = 5$ है।

(8)	ग्राउण्ड ऐसेसमेन्ट	20 अंक
-----	--------------------	--------

नोट :- परिशिष्ट 2 के अनुसार अंक प्रदान किये जाने हैं।

परिशिष्ट-1

राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2010
जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

मण्डल :

जिला :

- (1) शिक्षक का नाम
- (2) पद
- (3) पदस्थापन स्थान
- (4) जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
- (5) प्रथम नियुक्ति तिथि
- (6) सेवा विवरण (31.12.2009 को)
(अ) कुल सेवा अवधिवर्षमाह
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधिवर्षमाह
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधिवर्षमाह
- (7) गत 5 वर्षों का शिक्षण अनुभववर्षमाह

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 15

क्र०स०	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ()			
4	स्नातकोत्तर ()			
5	प्रशैक्षिक ()			
योग				

(बिन्दु संख्या - 04 में स्नातकोत्तर के आगे सम्बन्धित विषय/विषयों को स्पष्ट लिखें)

(2) परीक्षा परिणाम

अंक 25

क्र०स०	वर्ष	प्रतिशत	प्रदत्त अंक
1	2004-2005		
2	2005-2006		
3	2006-2007		
4	2007-2008		
5	2008-2009		
योग			

(3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 15

क्र०स०	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2004-2005		
2	2005-2006		
3	2006-2007		
4	2007-2008		
5	2008-2009		
योग			

(4) जन सहयोग

अंक 15

क्र०स०	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2004-2005			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2005-2006			
3	2006-2007			
4	2007-2008			
5	2008-2009			
योग				

(5) प्रकाशन/वार्ता

अंक 5

क्र०स०	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2004-2005			
2	2005-2006			
3	2006-2007			
4	2007-2008			
5	2008-2009			
योग				

(6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र०स०	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2004-2005			
2	2005-2006			
3	2006-2007			
4	2007-2008			
5	2008-2009			
योग				

(7) ग्राऊण्ड ऐसेसमेंट

अंक 20

ग्राऊण्ड ऐसेसमेंट में प्रदत्त अंक	
-----------------------------------	--

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7)

.....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

परिशिष्ट-1

राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2010

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

(विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु विशेष सम्मान)

मण्डल :

जिला :

- (1) शिक्षक का नाम
- (2) पद
- (3) पदस्थापन स्थान
- (4) जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
- (5) प्रथम नियुक्ति तिथि
- (6) सेवा विवरण (31.12.2009 को)
(अ) कुल सेवा अवधिवर्षमाह
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधिवर्षमाह
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधिवर्षमाह
- (7) गत 5 वर्षों का शिक्षण अनुभववर्षमाह

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 15

क्र०सं०	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ()			
4	स्नातकोत्तर ()			
5	प्रशैक्षिक ()			
योग				

(क्रम संख्या - 04 में स्नातकोत्तर के आगे सम्बन्धित विषय/विषयों को स्पष्ट लिखें)

(2) परीक्षा परिणाम

अंक 25

क्र०सं०	वर्ष	प्रतिशत	प्रदत्त अंक
1	2004-2005		
2	2005-2006		
3	2006-2007		
4	2007-2008		
5	2008-2009		
योग			

(3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 15

क्र०सं०	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2004-2005		
2	2005-2006		
3	2006-2007		
4	2007-2008		
5	2008-2009		
योग			

(4) जन सहयोग

अंक 10

क्र०सं०	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2004-2005			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2005-2006			
3	2006-2007			
4	2007-2008			
5	2008-2009			
योग				

(5) प्रकाशन/वार्ता

अंक 5

क्र०सं०	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2004-2005			
2	2005-2006			
3	2006-2007			
4	2007-2008			
5	2008-2009			
योग				

(6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र०सं०	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2004-2005			
2	2005-2006			
3	2006-2007			
4	2007-2008			
5	2008-2009			
योग				

(7) विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

अंक 5

क्र०सं०	वर्ष	विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान	प्रदत्त अंक
1	2004-2005		
2	2005-2006		
3	2006-2007		
4	2007-2008		
5	2008-2009		
योग			

(8) ग्राऊण्ड ऐसेसमेंट

अंक 20

ग्राऊण्ड ऐसेसमेंट में प्रदत्त अंक	
-----------------------------------	--

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7+8)

.....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

परिशिष्ट-4

शिक्षक का सेवा विवरण
(नियुक्ति दिनांक से दिनांक 31/12/2009 तक)

शिक्षक का नाम पद प्रथम नियुक्ति तिथि
विद्यालय

क्र० सं०	पद का नाम	पदस्थापन स्थान	अवधि		कुल सेवा अवधि	
		सेतक	वर्ष	माह
कुल सेवा अवधि						
कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि						
कुल शिक्षण अनुभव अवधि (31.12.2009 आधार तिथि मानकर)						

- नोट :-1. गैर शिक्षण एवं प्रशासनिक पदों के अनुभव की अवधि शिक्षण अनुभव की श्रेणी में नहीं आने से सम्मान हेतु अमान्य है। अतः उक्त अवधि कुल सेवा अवधि में से घटानी है।
2. इस तालिका के आधार पर परिशिष्ट-1 के क्रमांक 6 में इन्द्राज करना है।

हस्ताक्षर मय मोहर
नियन्त्रण अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट-5

शिक्षक का शैक्षिक रिकार्ड

शिक्षक का नाम पद

विद्यालय

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	श्रेणी	विशेष योग्यता वाले विषय का नाम (75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्तांक)
माध्यमिक				
उच्च माध्यमिक				
स्नातक()				
स्नातकोत्तर()				
प्रशैक्षिक 1.बी.एड 2.एस.टी.सी. 3.डी.पी.एड. 4.बी.पी.एड. 5.सी.पी.एड. 6.शिक्षाशास्त्री				
अन्य				

नोट :- (1) प्रत्येक शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी है।

(2) स्नातकोत्तर उपाधि एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण की हो तो सब के नाम अलग-अलग इंगित करें।

हस्ताक्षर मय मोहर
नियन्त्रण अधिकारी

परिशिष्ट-6

शिक्षक का परीक्षा परिणाम

नाम पद

विद्यालय

सत्र

क्र.सं.	कक्षा	विषय	प्रविष्ट विद्यार्थी	उत्तीर्ण विद्यार्थी श्रेणी				प्रतिशत
				I	II	III	योग	
कुल परीक्षा परिणाम								
औसत परीक्षा परिणाम								

- नोट :- (1) औसत परीक्षा परिणाम ज्ञात करने के लिए कुल परीक्षा परिणाम में कुल कक्षा परीक्षा परिणामों की संख्या अर्थात इस तालिका की अंतिम संख्या का भाग लगाना है।
- (2) एस.यू.पी.डब्ल्यू./कला शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा/शारीरिक शिक्षा विषयों की परीक्षाओं का तालिका में अंकन नहीं करना है, क्योंकि इनके अंक देय नहीं है।
- (3) गत 5 सत्रों का परीक्षा परिणाम अलग-अलग पांच परिशिष्टों में संलग्न करना है।

हस्ताक्षर मय मोहर
संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी

परिशिष्ट-7

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र

श्री / श्रीमती पद

जन्म तिथि विद्यालय

के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि : -

- (1) इनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में न तो चली है और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।
- (2) इनको पूर्व में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।
- (3) इनके द्वारा जन सहयोग से कराये गये कार्यों के लिये पूर्व में किसी अन्य शिक्षक को सम्मानित नहीं किया गया है।
- (4) इनके प्रस्ताव के साथ वांछित क्रमानुसार प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जांच भी स्वयं द्वारा कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक)

परिशिष्ट-9

गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

जन्म तिथि (शब्दों में) पद

विद्यालय में दिनांक

से लगातार कार्यरत हैं। गत 5 वर्षों की अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार से रहा है :

क्र. सं.	वर्ष	स्केल			
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
1	2004-2005				
2	2005-2006				
3	2006-2007				
4	2007-2008				
5	2008-2009				

नोट :- संस्था सचिव द्वारा "स्केल" के अन्तर्गत किसी एक रेटिंग के कॉलम में लघु हस्ताक्षर किये जाने हैं।

संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट-8

गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सम्बन्धी विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

जन्म तिथि (शब्दों में) पद

विद्यालय

दिनांक से लगातार इस विद्यालय में कार्यरत हैं। इनके विरुद्ध

किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में न तो चली है और

न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट-2

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

शिक्षक का नाम : पद :

विद्यालय :

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	2	
2	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता	2	
3	नामांकन एवं ठहराव में सफलता	2	
4	पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन	2	
5	उत्तरदायित्वों का निर्वहन	2	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना	2	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	2	
8	सामाजिक कार्यों में संलग्नता	2	
9	राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति	2	
10	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	2	
योग		20	

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर।

द्वितीय सदस्य

प्रथम सदस्य

अध्यक्ष

परिशिष्ट-10

जन-सहयोग का प्रमाण-पत्र

शिक्षक का नाम :- पद :- विद्यालय/संस्था का नाम :-

सत्र	भामाशाह का नाम एवं पता	विद्यालय/संस्था का नाम जहा शिक्षक के माध्यम से जनसहयोग उपलब्ध कराया गया।	निर्माण/सामग्री /नकद आदि मे से कराये गये कार्यों का विवरण	दानदाता द्वारा प्रदत्त राशि
2004-2005				
2005-2006				
2006-2007				
2007-2008				
2008-2009				

हस्ता० मयमोहर
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)